1	2	3	4	5	6
37	Meerut	10186	5719	15905	3294
38	Mirzapur	1976	3366	5342	933
39	Moradabad	9822	3338	13160	2244
40	Muzaffarnagar	8240	3306	11545	1367
41	Nainital	4392	3403	7795	1086
42	Pilibhit	3631	847	4478	747
43	Pithoragarh	616	218	834	288
44	Pratapgarh	1180	411	1591	585
45	Raibareli	2650	2961	5611	924
46	Rampur	1494	2698	4192	533
47	Saharanpur	5639	3924	9563	1986
48	Shahjahanpur	1830	2218	3048	769
49	Sitapur	753	1139	1892	489
50	Sultanpur	3786	141	3927	1354
51	Tehri Garhwal	1220	337	1557	446
52	Unnao	1484	1397	2881	517
53	Uttar Kashi	605	164	769	340
54	Varanasi	10005	2714	12719	2422
55	Lalitpur	976	1063	2039	521
56	Ghaziabad	18744	2559	21303	2529
57	Noida	12921	609	13530	1545
58	Kanpur Dehat	750	622	1372	313
	TOTAL	217282	131626	348908	66017

Industrial projects in U.P. pending Cabinet clearance

7028. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state.

(a) what are the proposals for establishing industries in Uttar Pradesh which have been cleared by all other authorities but are pending with the Cabinet for its approval; and

(b) what are the reasons for delay in granting Cabinet approval?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) Applications under the provisions of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for grant of licences for setting up of industries do not require Cabinet approval anymore.

Industrially backward districts in U.P.

7029. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the PRIME

MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total number of Districts in Uttar Pradesh which have been so far been declared as industrially backward; and

(b) what is the basis on which a District is declared as industrially backward?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) 41 Districts of Uttar Pradesh have been declared as industrially backward.

(b) The criteria for identification of backward districts were:

(i) per capita food grains/commercial crops production depending on whether the district is predominently a producer of food grains/cash crops,

(ii) ratio of population to agricultural workers,

(iii) per capita industrial output,

(iv) number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population,

(v) per capita consumption of electricity; and

(v) length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

लघु उद्योग क्षेत्र से प्रतिबंधों का हटाया जाना

7730. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को उद्योग नीति के संबंध में वक्तव्य जारी करने के बाद से, लघु उद्योग क्षेत्र में उदारीकरण नीति के अन्तर्गत प्रतिबंधों के हटाये जाने के लिए संबंध में कोई कदम उठाये गय हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष में इस संबंध में कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1994–95 के वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कराधान को व्यापक बना देने के कारण लघु उद्योगों के अनार्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**।

(ग) और (घ) यह सच नहीं है कि वित्तीय वर्ष 1994–95 में सरकार द्वारा कराधान का विस्तार करने के कारण उद्योगों के गैर-आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि हुई है । 1994–95 के बजट में विनिर्माण की विभिन्न मदों पर विशिष्ट उत्पाद-शुल्क की छूट को समाप्त कर दिया गया है । तथापि, कुछ मदों, जैसे 50/- रुपये तक के मूल्य के जूतों के जोड़, छतरियों, बिजली की सहायता के बिना बनाये गये साबुन, पर उत्पाद शुल्क छूट को बरकरार रखा गया है । वस्तुतः लघु इकाइयों के लाभार्थ कई महत्वपूर्ण सरल कार्यपद्धतियों की घोषणा की गई है । लघु उद्योगों को उत्पाद शुल्क छूट योजना से लाभ उठाने के लिए उद्योग निदेशालयों में पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । लघु औद्योगिक इकाइयों के निजी रिकार्ड पर उत्पाद शुल्क प्रयोजन के लिए विचार किया जायेगा और लघु औद्योगिक इकाइयों को कोई अतिरिक्त रिकार्ड रखने की जरुरत नहीं है । लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क के कार्यालय में कोई मासिक विवरणी नहीं भेजनी होती है । साधारण तिमाही विवरणी पर्याप्त होती है । 30 लाख रुपये तक के सामान की बिक्रियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालय में कोई घोषणा दायर करने की आवश्यकता नहीं है ।